आदेशपत्र / आदेश

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
20.9.21	पत्रावली पेश हुई। संस्थित रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा-5 के प्रार्थना-पत्र अपीलांट अधिवक्ता को सुना गया। अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ कैविएट प्रार्थना-पत्र संलग्न है अतः कैविएटकर्ता अधिवक्ता को नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 20.9.21 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	
9/21	पत्रावली पेश हुई अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो-1 की ओर से श्री जयप्रकाश शर्मा एड. के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया। रेस्पो. अधि. को नकल अपील एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना-पत्र दिनांक 1.10.21 को पेश हो। [signature]	नकल प्राप्त की गई। [signature]
1.10.21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। स्थगन प्रा. पत्र पर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रा. पत्र दि. 4.10.2021 को पेश हो। [signature]	
4.10.21	पत्रावली स्थगन प्रा. पत्र पर आदेशार्थ पेश हुई। अपने स्थगन प्रा. पत्र पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 784 रकबा 94 एयर व 784/1227 रकबा 01 हेक्टेयर मेरी खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की है। उपरोक्त भूमि में मेरा $\frac{1}{2}$ हिस्सा है। तथा $\frac{1}{2}$ हिस्सा रेस्पो. संख्या 04 का है। वादी रेस्पो तथा रेस्पो. सं. 04 ता. 07 में विवाद रेस्पो. सं. 04 के $\frac{1}{2}$ भाग को लेकर है। उक्त $\frac{1}{2}$ भाग पर ही तहत अदालत को स्थगन जारी करना चाहिये था। मेरे $\frac{1}{2}$ भाग पर कोई विवाद नहीं है। मैं रिकॉर्ड खातेदार हूं। कानूनन	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	मुझे स्थगन से जावन्द नहीं किया जा सकता। परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया। अतः निवेदन है कि मेरा स्थगन प्रा. पत्र स्वीकार किया जावे।
	जवाब में विद्वान वकील कैवियटर का कथन है कि अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 5 आपस में सगे भाई है। इन्होंने हरियाणा की अपनी दादालाई की भूमि बेचकर राजस्थान में प्रश्नगत भूमि खरीदी है। रेस्पो. सं. 5 शेहताश हमारा सगा दादा है। वह हमको अपने हकों से वंचित कर भूमि खुर्द बुर्द करना चाहता है। इसलिये हमने तहत अदालत में दावा एवं धारा 212 का प्रा. पत्र पेश किया। तहत अदालत ने सही तौर पर स्थगन जारी किया है।
	हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। प्रश्नगत भूमि के संबंध में पक्षकारों के हक हकूकों का निर्णय मूल वाद में होना है। हम यहां स्थगन प्रा. पत्र का निस्तारण कर रहे हैं, जिसके लिए प्रथमदृष्टतया मामले को देखना होता है। चूंकि अपीलांट प्रश्नगत भूमि के ½ भाग का रेकोर्डेड खातेदार है। इसलिये स्थगन हेतु अपीलांट का प्रथमदृष्टतया मामला बनना जाहिर होता है।
	अतः आदेश है कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दि. 27.3.2018 को विवादित भूमि खसरा नम्बर 784, 784/1227 वाके ग्राम खोहर तहसील बहरोड़ में दर्ज अपीलांट के ½ हिस्से की हद तक स्थगित किया जाता है।
	— लगातार —

गोरधन | अशोक

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	

अब प्रश्न यह है कि इस अपील को आगे चलाया जावे अथवा इसी स्तर पर निर्णीत कर दी जावे। प्रा.पत्र धारा 212 का निस्तारण होना अभी शेष है। उक्त प्रा.पत्र में अभियपक्ष की सुनवाई कर धारा 212 के तीनों आवश्यक तत्वों को भी विवेचित किया जाना है। ऐसी स्थिति में CPC के प्रावधानों में दी गई समयावधि में उक्त प्रा. पत्र का निस्तारण करने हेतु हम तहत अदालत को आदेशित किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्तानुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो धारा 212 R.T. एक्ट के प्रा. पत्र में अभियपक्ष को सुनकर CPC के आदेश 39 नियम 3 (क) में दी गई समयावधि में उक्त प्रा. पत्र का निस्तारण करें। अभियपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में नियत दिनांक को उपस्थित हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर